पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 03 जुलाई, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम के शासकीय ऋण की धनराशि का समायोजन एवं परिसम्पत्तियों का शासकीय विभागों को हस्तान्तरण

1. उ0प्र0, राज्य खनिज विकास निगम लि0 (कम्पनी) कम्पनी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज में नियमानुसार पंजीकृत एक शासकीय कम्पनी है। उ0प्र0, राज्य खनिज विकास निगम लि0 (कम्पनी) को मा0 मंत्रिपरिषद, उ0प्र0 के आदेश के अनुपालन में शासनादेश दि0 11.01.2000 द्वारा कम्पनी को वाइण्ड–अप किये जाने एवं अवशेष क्रिया–कलाप एवं गतिविधियों को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय /यू0पी0एस0आई0डी0सी0 को हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. कम्पनी द्वारा कर्मचारियों के देयकों आदि के लिए शासन से प्राप्त ऋण की मूल धनराशि रू0 18,23,86,000/– एवं उक्त ऋण पर ब्याज के मद में रू0 7,86,15,000/– का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में शासकीय ऋण पर ब्याज के रूप में रू0 33,10,17,295/– की धनराशि की देयता अवशेष है। निगम के विधिक समापन से पूर्व निगम की लखनऊ, ललितपुर एवं सोनभद्र स्थित अवशेष निष्प्रयोज्य परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग से कराकर उन्हें शासकीय विभागों यथा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय तथा न्याय विभाग को हस्तांतरित किया जाना है। निगम की अवशेष निष्प्रयोज्य परिसम्पत्तियों की मूल्यांकित धनराशि रू0 13,46,35,400/– है जिसे अवशेष शासकीय ऋण के विरूद्व निगम के लेखा पुस्तकों में समायोजन किया जाना है।

3. निगम एवं शासकीय हित के दृष्टिगत निगम की अवशेष परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के उपरान्त उसे भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 तथा न्याय विभाग को हस्तांतरित करने और मूल्यांकित धनराशि का समायोजन शासकीय ऋण के विरूद्व निगम के लेखा पुस्तकों में किये जाने के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रि परिषद का अनुमोदन/आदेश निवेदित है। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त कम्पनी अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निगम के विधिक परिसमापन के संबंध में यथा प्रक्रिया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

सिविल अपील संख्या–4755/2006 'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरीश टण्डन' में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 06.01.2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में

- सिविल अपील संख्या–4755/2006 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरीश टण्डन में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 06.01.2016 के क्रम में सिविल स्टेशन, इलाहाबाद स्थित नजूल भूखण्ड संख्या–32 सी, 139 एवं 139 बी को नजूल भूखण्डों को फ्री–होल्ड किये जाने के वर्तमान में प्रभावी शासनादेश दिनांक 04.03.2014 तथा शासनादेश दिनांक 15.01.2015 के स्थान पर शासनादेश दिनांक 01.12.1998 के अनुसार फ्री–होल्ड किये जाने एवं उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने से होने वाली रू0 4607.49 लाख की राजस्व की क्षति की स्थिति से अवगत कराते हुए प्रस्ताव मा0 मंत्रि–परिषद के अनुमोदन हेतु मा0 मंत्रि–परिषद की बैठक दिनांक 24.04.2018 में प्रस्तुत किया गया था।

- मा0 मंत्रि–परिषद की बैठक दिनांक 24.04.2018 में निम्नलिखित आदेश प्राप्त हुए:–

  "इस विषय पर विचार विमर्श हुआ। निर्णीत हुआ कि इस प्रकरण के सम्बन्ध में भारत के महान्यायवादी का विधिक परामर्श प्राप्त कर लिया जाय।"

- मा0 महान्यायवादी, भारत सरकार के पत्र दिनांक 09.06.2018 के माध्यम से प्रकरण में विधिक परामर्श प्राप्त हो गया है।

- इलाहाबाद नगर के स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु कतिपय स्थानों पर विभिन्न सुविधाएं सृजित करने हेतु भूमि की अपरिहार्यता दर्शायी गयी है, जिसमें नजूल भूखण्ड संख्या–32सी, 139, 139बी, सिविल स्टेशन इलाहाबाद भी सम्मिलित है।

- भूखण्ड संख्या–32सी सिविल स्टेशन क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर को बस स्टैण्ड, वेण्डिंग जोन, खुले बहुउद्देशीय स्थान हेतु एवं भूखण्ड संख्या–139 तथा 139 बी सिविल स्टेशन क्षेत्रफल 22500 वर्ग मीटर को पार्किंग एवं बहुउद्देशीय खुले स्थान हेतु पुनर्ग्रहीत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

- मा0 मंत्रि–परिषद की बैठक दिनांक 24.04.2018 में प्राप्त आदेश के क्रम में मा0 महान्यायवादी, भारत सरकार के परामर्श के आलोक में नजूल भूखण्ड संख्या–32सी, 139 व 139बी, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि–परिषद का आदेश निवेदित है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में नागरिक उड्डयन विभाग की स्वीकृतियों की स्थिति से मंत्रिपरिषद को अवगत कराया गया

- वित्तीय वर्ष 2017-18 मे नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं हेतु एकमुश्त बजट व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदान की गई स्वीकृतियों (बजट मैन्युअल प्रस्तर-94) की स्थिति से मा0 मंत्रिपरिषद को अवगत कराया जाना।

- वित्तीय वर्ष 2017-18 मे में अनुदान संख्या-38 में एकमुश्त बजट व्यवस्था के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (लागत) बजट मैन्युअल के प्रस्तर-94 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त कुल रू0 28308.27760 लाख (रूपए दो अरब तिरासी करोड़ आठ लाख सत्ताईस हजार सात सौ साठ मात्र) की स्वीकृति नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा निर्गत की गई।

रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती और मुरादाबाद एयरपोर्ट के विकास के सम्बन्ध में

भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती और मुरादाबाद एयरपोर्ट के विकास हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा तैयार किए गए आगणनों में एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल, फ्रेम लैस टफेन्ड ग्लास, सैन्सर डोर, स्ट्रक्चरल ग्लेज़िंग, ग्रैनाइट फ्लोरिंग, फॉल्स सीलिंग, फाइबर ग्लास री-इन्फोर्स्ड प्लास्टिक (एफ0आर0पी0) डोर फ्रेम एवं शटर, वुड ब्लॉक फ्लोरिंग, पफ इंसुलेटेड कन्टीन्युअस सैंडविच पैनल (PUF Insulated Continuous Sandwich Panels) एवं एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड ट्यूबलर (Aluminum Extruded Tubular) आदि का प्राविधान किया गया है, जो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों से उच्च हैं, का प्रयोग किए जाने तथा उक्त एयरपोर्ट्स के विकास में निहित व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा न करने की दशा में राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने की अनुमति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लागू किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के कारण छतविहीन एवं आश्रयविहीन परिवार, कालाजार से प्रभावित परिवार, वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग के (जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित) परिवार, JAPANESE ENCEPHALITIS (जे0ई0)/ए0ई0एस0 से प्रभावित परिवार एवं अन्य ऐसे परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित हैं, परन्तु सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना–2011 के आंकड़ों पर आधारित आवासीय सुविधा हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं हैं, को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–06/2018/216/38–4–18–123(विविध)/2017, दिनांक–02.02.2018 द्वारा "मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण" प्रारम्भ की गयी है।

योजना के प्राविधानों के अनुसार आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के स्तर एवं संबंधित चिन्हित जनपद स्तर पर इस योजना का एक पृथक बचत खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाना था। जिससे लाभार्थियों के खाते में धनराशि हस्तान्तरित की जा सके। इस हेतु वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया।

वित्त विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार बजट में व्यवस्थित धनराशि का आहरण विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उन्हें आवंटित बजट की सीमा तक संबंधित कोषागार से करते हुए ई–पेमेण्ट के माध्यम से धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जाने की व्यवस्था है। इस योजना में भी इसी के अनुसार कार्यवाही करते हुए सीधे लाभार्थी के खाते में नियमानुसार भुगतान किया जा सकता हैं।"

अतः वित्त विभाग के उपर्युक्त परामर्श के क्रम में मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या–06/2018/216 /38–4–18–123(विविध)/2017, दिनांक 02.02.2018, के **प्रस्तर–2 (5) के उपप्रस्तर–2 (5.1), 2(5.2), 2(5.3) में विहित वित्तीय प्रबन्धन में निम्नानुसार संशोधन किये जाने हेतु** मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव रखा गया है :–

शासनादेशसंख्या–06/2018/216/38–4–18–123(विविध) / 2017, दिनांक 02.02.2018, के अन्तर्गत वर्तमान व्यवस्था–	प्रस्तावित संशोधन–
प्रस्तर–2 (5) वित्तीय प्रबन्धन उप प्रस्तर–2(5.1) योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की अवमुक्ति के पश्चात इसके रख–रखाव हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के स्तर पर इस योजना का एक पृथक बचत खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा। उप प्रस्तर–2(5.2) आयुक्त, ग्राम्य विकास के स्तर से संबंधित चिन्हित जनपद जिनमें उक्त योजना से आच्छादित परिवारों हेतु आवासों का निर्माण कराया जाना हो, उन जनपदों में धनराशि के रख–रखाव हेतु जनपद स्तर पर इस योजना का एक पृथक बचत खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा। उप प्रस्तर–2(5.3) लाभार्थियों के खाते में धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय खाते से सीधे ऑनलाइन FTO/ RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।	प्रस्तर–2 (5)–वित्तीय प्रबन्धनः– उप प्रस्तर–2(5.1) योजनान्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि वित्तीय नियमों के अन्तर्गत आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 के निर्वतन पर रखी जायेगी। उप प्रस्तर–2(5.2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 द्वारा संबंधित जनपदों की मांग/ आवश्यकतानुरूप जनपदों को धनराशि आवंटित की जायेगी। संबंधित जनपद के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से ई–पेमेण्ट के माध्यम से सीधे मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत चिन्हित पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में धनराशि अंतरित की जायेगी।

पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे परियोजना का बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव अनुमोदित

'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' के आंशिक वित्त पोषण हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव पर मा० मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के संबंध में।

बैंकों से रु० 12000.00 करोड़ का ऋण परियोजना के सिविल निर्माण कार्यों हेतु यूपीडा द्वारा लिया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार से 'शासकीय गारंटी' एवं यूपीडा के द्वारा ब्याज/मूलधन की किश्त न चुका पाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उस राशि को चुकाए जाने का सहमति पत्र ('लेटर ऑफ कमफर्ट') अपेक्षित है। साथ ही में, टोल राशि के माध्यम से यूपीडा द्वारा ऋण की अदायगी करने की स्थिति में आने तक राज्य सरकार से लगभग तीन वर्ष के लिए त्रैमासिक आधार पर ब्याज राशि राज्य सरकार द्वारा अदायगी करने का अनुरोध किया गया है।

परियोजना के सिविल निर्माण कार्यों हेतु ऋण कार्य प्रारम्भ होने के तीन वर्ष के अंदर प्राप्त किया जाएगा जिसकी समय सारणी ऋण की शर्तों के अधीन शासन के अनुमोदन से निश्चित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित निर्णय से रु० 12000.00 करोड़ की सीमा तक बजट प्रतिभार कम हो सकेगा जिसका उपयोग राज्य सरकार अन्य कार्यों हेतु कर सकेगी। साथ ही 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता से निर्माण कार्य को गतिमान किया जा सकेगा।

'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता से निर्माण कार्य को गतिमान किया जाने के कारण इस परियोजना के समस्त लाभ जनसामान्य को यथाशीघ्र प्राप्त हो सकेंगे।

'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता से निर्माण कार्य को गतिमान किया जाने के कारण इस परियोजना से होने वाले रोजगार सृजन संबंधी कार्यों को भी गतिमान किया जा सकेगा।

———————

PN-CM-Cabinet Decision-03 July, 2018